अनुदान संख्या 15 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 15–DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	231,99,00	389,08,00	308,60,56	–80,47,44
पूरक	Supplementary	157,09,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				58,69,09
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीक त-	Voted–		32,04,00	23,14,23	–8,89,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6,15,37

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (8047.44 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 15709.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 51 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.8047.44 lakhs) constituted 51 percent of the supplementary grants of Rs.15709.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 21 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1027.00	1119.29	1083.04	–36.25
पू.	S.	228.00			
पु.	R.	–135.71			

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''2552'' Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र North Eastern Areas					
मू.	O.	1650.00			
पू.	S.	1.00	1.00	. .	–1.00
पु.	R.	–1650.00			
मुख्य शीर्ष ''2852'' Major Head "2852"					
उद्योग Industries					
मू.	O.	2139.00			
			66.60	66.00	–0.60
पु.	R.	–2072.40			
मुख्य शीर्ष ''3425'' Major Head "3425"					
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान Other Scientific Research					
मू.	O.	1839.00			
पू.	S.	402.00	1873.39	1973.07	+99.68
पु.	R.	–367.61			
मुख्य शीर्ष ''3456'' Major Head "3456"					
सिविल पूर्ति Civil Supplies					
मू.	O.	8879.00			
पू.	S.	14921.00	25131.42	23332.12	–1799.30
पु.	R.	1331.42			
मुख्य शीर्ष ''3475'' Major Head "3475"					
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं Other General Economic Services					
मू.	O.	3385.00			
पू.	S.	157.00	2687.84	2701.21	+13.37
पु.	R.	–854.16			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	3800.00	1959.37	1705.12	–254.25
पु.	R.	–1840.63			
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र. की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	480.00	200.00	. .	–200.00
पु.	R.	–280.00			

(I) 4494.00 लाख रु. का प्रावधान चौबीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3719.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''सिविल पूर्ति'' -

(i) ''निदेशन और प्रशासन - उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ'' - 751.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;

(ii) ''उपभोक्ता संरक्षण पर एकीकृत परियोजना'' - 250.00 लाख रु.; और

(ख) ''अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण'' - 230.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.4494.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty four heads; of these Rs.3719.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "Civil Supplies" -

(i) "Direction and Administration - Consumer Protection Cell" - Rs.751.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);

(ii) "Integrated Project on Consumer Protection" - Rs.250.00 lakhs; and

(b) "Other General Economic Services- Strengthening of Forward Markets Commission" - Rs.230.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण" -

(क) "भारत में स्वर्ण प्रमाणक/विश्लेषण केंद्रों की स्थापना" - 270.00 लाख रु. विश्लेषण केंद्रों की स्थापना के लिए निजी फर्म से प्रतिक्रिया प्राप्त न होने और स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) "राष्ट्रीय विनियामक डाटा बेस प्रणाली का विकास" - 171.00 लाख रु.; और

(ग) "मूल्यांकन एवं अनुपालन के लिए राष्ट्रीय प्रणाली" - 810.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्थायी वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घ) "मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" - 135.00 लाख रु. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों से परामर्श कर पाठ्यक्रम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3456" - "शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारिताओं को सहायता - खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि." - 552.00 लाख रु. (551.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि. से दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीम - माप और तोल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - 400.00 लाख रु. निधीयन पद्धति में परिवर्तन होने के कारण थे।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2852" - "General-Standardisation and Quality Control" -

(a) "Setting up of Gold Hallmarking/Assaying Centres in India" – Rs.270.00 lakhs - due to non-receipt of response from private firm for setting up assaying centres and approval of Standing Finance Committee.

(b) "Development of a National Regulatory System Data Base" - Rs.171.00 lakhs; and

(c) "National System for Assessment and Compliance" - Rs.810.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of approval from Standing Finance Committee.

(d) "HRD/Capacity Building" - Rs.135.00 lakhs-due to non-finalization of curriculum in consultation with experts appointed by All India Council for Technical Education.

(C) Major Head "3456" - "Assistance to Consumer Co-operatives in Urban Areas - Minerals & Metals Trading Corporation Ltd." – Rs.552.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.551.00 lakhs) - due to non-receipts of claims from Mineral & Metals Trading Corporation Ltd.

(D) Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies-Civil Supplies Scheme - Strengthening of Weight & Measures Infrastructure" – Rs.400.00 lakhs - due to change in funding pattern.

(ङ) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीम - उपभोक्ता हेल्पलाइन" - 150.00 लाख रु. चुनाव आचार संहिता की वजह से अनुदानों को जारी न किए जाने के कारण थे।

(E) Major Head "3602" - "Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies – Civil Supplies Schemes – Consumer Helpline" – Rs.150.00 lakhs – due to non-release of grants owing to election code of conduct.

(II) मुख्य शीर्ष "3475" - "बाजार विनियमन - वायदा बाजार आयोग" के अंतर्गत 470.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 92.76 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 562.76 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 156.40 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3475" – "Regulation of Markets – Forward Markets Commission" – the original provision of Rs.470.00 lakhs was augmented to Rs.562.76 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.92.76 lakhs. However, there was a saving of Rs.156.40 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :–

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - उपभोक्ता मामले विभाग" - 1027.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 228.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1255.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा दावे प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 171.96 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Consumer Affairs" - the original provision of Rs.1027.00 lakhs was augmented to Rs.1255.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.228.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.171.96 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of medical claims and economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - राष्ट्रीय परीक्षण गृह - नमूना परीक्षण केंद्र" -1839.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 402.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2241.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो एमआईएस के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने की वजह से स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण 267.93 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "3425" - "Others - National Test Houses - Sample Testing Centre" - the original provision of Rs.1839.00 lakhs was augmented to Rs.2241.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.402.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.267.93 lakhs - due to non-implementation of the scheme owing to delay in receipt of approval for MIS.

(गा) मुख्य शीर्ष "3475" - "माप और तोल का विनियमन" -

(C) Major Head "3475" – "Regulation of Weights and Measures" –

(क) "माप और तोल इकाई" - 33.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 11.43 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 45.33 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कम दौरे किए जाने, चिकित्सा दावे प्राप्त न होने

(a) "Weights and Measures Unit" - the original provision of Rs.33.90 lakhs was augmented to Rs.45.33 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11.43 lakhs which, however, remained unutilised to the

और किफायती उपाय किए जाने के कारण 6.88 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

extent of Rs.6.88 lakhs – due to less tours, non-receipt of medical claims and economy measures.

(ख) "भारतीय विधि माप पद्धति संस्थान" - 90.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.84 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 111.44 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो किफायती उपाय किए जाने के कारण 10.30 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Indian Institute of Legal Metrology" - the original provision of Rs.90.60 lakhs was augmented to Rs.111.44 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.84 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.10.30 lakhs – due to economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण - मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रणाली" के अंतर्गत 687.00 लाख रु. की बचत (753.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2852" - "General - Standardisation and Quality Control- National system for standardization" - saving of Rs.687.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.753.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of Standing Finance Committee.

(V) मुख्य शीर्ष "3456" - "निदेशन और प्रशासन - उपभोक्ता कल्याण निधि के अधीन परियोजनाएं" के अंतर्गत 884.17 लाख रु. की बचत (1258.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चुनाव आचार संहिता की वजह से अनुदानों को जारी न किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration – Projects under Consumer Welfare Fund" - saving of Rs.884.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1258.00 lakhs) was due to non-release of grants owing to election code of conduct.

(VI) मुख्य शीर्ष "3475" - "बाजारों का विनियमन - वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत 1738.99 लाख रु. की बचत (2070.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और सूचना प्रौद्योगिकी खरीद, किराया प्रकाशन और सदस्यता शुल्क के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3475" – "Regulation of Markets - Strengthening of Forward Markets Commission" - saving of Rs.1738.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2070.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and requirement of less funds towards IT purchases, rent publication and membership fee.

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VII) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(का) "योजनेतर अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीम - उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम के लिए अनुदान" - 174.08 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Non-Plan Grants - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme - Grants for Consumer Welfare Programme" - saving of Rs.174.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs); and

(खा) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीम'' -

(क) ''उपभोक्ता हेल्पलाइन'' - 332.67 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें चुनाव आचार संहिता की वजह से अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुईं।

(ख) ''उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण'' - 826.13 लाख रु. की बचत (2150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम'' - 362.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2912.56 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 14842.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष ''3456'' - ''निदेशन और प्रशासन - उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ'' - 1892.56 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 984.00 लाख रु. था।

(II) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''माप और तोल का विनियमन - माप और तोल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण'' - 1020.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1066.15 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(B) "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme" -

(a) "Consumer Helpline" - saving of Rs.332.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-release of grants owing to election code of conduct.

(b) "Strengthening of Consumer Disputes Redressal Agencies" – saving of Rs.826.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2150.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of approval of the Ministry of Finance.

(c) "Consumer Awareness Programme" - saving of Rs.362.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

2. The above savings were partly (Rs.2912.56 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.14842.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "3456" - "Direction and Administration- Consumer Protection Cell" - Rs.1892.56 lakhs. Actual excess, however, was Rs.984.00 lakhs.

(II) Major Head "3475" - "Regulation of Weights and Measures-Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" - Rs.1020.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1066.15 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	440.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–440.00			
मुख्य शीर्ष ''7475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "7475" Loans for Other General Economic Services				
मू.	O.	200.00	34.99	34.49	–0.50
पु.	R.	–165.01			

(I) 440.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से 340.00 लाख रु. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष ''4552'' के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''सिविल पूर्ति - राष्ट्रीय परीक्षण गृह'' - 140.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(खा) ''सिविल पूर्ति - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के लिए भवन का निर्माण'' - 200.00 लाख रु. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के लिए दिल्ली से बाहर भवन का निर्माण करने की स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.440.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.340.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - under the following heads:-

(A) "Civil Supplies – National Test House" - Rs.140.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) "Civil Supplies – Other General Economic Services - Construction of Building for National Consumer Disputes Redressal Commission" - Rs.200.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-finalisation of scheme for construction of building for National Consumer Disputes Redressal Commission out of Delhi.

(II) मुख्य शीर्ष ''7475'' - ''सिविल पूर्ति - शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों को कर्ज'' के अंतर्गत 165.51 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुपर बाजार बंद किए जाने का मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होने की वजह से सुपर बाजार से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "7475" - "Civil Supplies - Loans to Consumer Co-operative Societies in Urban Areas" - saving of Rs.165.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non- receipt of demand from Super Bazaar owing to case of winding up of Super Bazaar being pending in Honourable Supreme Court of India.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 155.07 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत और 13 प्रतिशत से अधिक थी।

(III) Under two heads savings of Rs.155.07 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent and 13 percent of the sanctioned provision.

4. उपभोक्ता कल्याण निधि:-

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना 1991 में उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके बनाए गए नियमों के अनुसार की गई थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन जिस राशि की वापसी विनिर्माताओं को नहीं की जाती है, वह इस निधि में जमा हो जाती है।

4. Consumer Welfare Fund:-

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilising the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 25 नवंबर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, नियमों को अधिक व्यापक आधारित बनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर इनमें 27 जनवरी, 1994 को और संशोधन किए गए। इन नियमों के बाद में संशोधन 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई तथा उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा परिचालित किया जाता है।

Consumer Welfare Fund Rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

वर्ष 2008-2009 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

The Account of the Fund for 2008-2009 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	83,28,78
प्राप्तियां	Receipts	38,78,70
अदायगियां	Payments	4,99,75
अंतशेष	Closing Balance	117,07,73